



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment,
Govt. of India)
E.S.I.C.



क्षेत्रीय कार्यालय
पंचदीप भवन, भवानी सिंह रोड, जयपुर - 302001
Panchdeep Bhawan, Bhawani Singh Road, Jaipur-302001
Phone - 0141-2989581 E-Mail : rd-rajasthan@esic.gov.in
Website : www.esic.gov.in / www.esic.in

क्रमांक A-33015/3/2025-Admn

दिनांक : 31.10.2025

वर्ष 2025 का कार्यालय आदेश संख्या 158 (ई.)

सक्षम अधिकारी ने राजस्थान क्षेत्र में सहायक/प्रधान लिपिक संवर्ग में रिक्ति वर्ष 2025 की 75% कोटे की रिक्तियों को भरने के लिए दिनांक 21.03.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित वरिष्ठ लिपिक कर्मचारी को सहायक पद पर वेतन लेवल-6 (रूपये 35400-112400) में नियमित आधार पर पदोन्नति के आदेश प्रदान किये हैं :-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पद व तैनाती स्थान	पदोन्नत पद व तैनाती स्थान
1	Utsav Kumar Sharma (171725)	Assistant (Adhoc) RO Jaipur	Assistant /Head Clerk, RO Jaipur

उक्त कार्मिक वर्तमान में सहायक (तदर्थ) पद पर तैनात है। अतः उनकी नियमित पदोन्नति सहायक/प्रधान लिपिक पद पर जो कि श्री पोकर मल, सहायक, शाखा कार्यालय, हनुमानगढ़ की सेवानिवृत्ति से रिक्त हुई है, कार्यभार ग्रहण तिथि से प्रभावी मानी जाएगी।

उक्त वर्णित कर्मचारी नियमित पदोन्नति पर वेतन लेवल-6 में नियमानुसार वेतन प्राप्त करने के हकदार होंगे तथा एफ. आर. 22 I(a)1 के अधीन वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प पत्र इस आदेश के जारी होने की तिथि से एक माह की अवधि में प्रस्तुत कर सकते हैं तथा एक माह के बाद प्रस्तुत विकल्प पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

उक्त वर्णित कर्मचारी के तैनाती स्टेशन में कोई परिवर्तन नहीं है। अतः उन्हें ज्वाइनिंग समय एवं स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।

उक्त कर्मचारी की सहायक पद पर नियमित पदोन्नति कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारी वृन्द एवं सेवा शर्तें) विनियम, 1959 एवं यथा संशोधित नियमों के अनुसार शासित होगी।

उक्त वर्णित कर्मचारी पदोन्नति स्वीकार/अस्वीकार करने की सूचना दिनांक 15.11.2025 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि "Those officials who decline the offer of promotion will not be considered for regular promotion for a period of one year from the date of refusal or till a next vacancy arises whichever is later and will also be passed over resulting in loss of seniority, and the other officials promoted on regular basis prior to the dates of their next promotion to the cadre of Assistant will become senior to them."

ज्वाइनिंग रिपोर्ट की प्रति प्रशासन शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए।

(गजेंद्र सिंह)
उप निदेशक (प्रशा.)
कृते क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी

प्रतिलिपि:-

1. सम्बन्धित कर्मचारी ।
2. डीन, क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविधालय एवं चिकित्सालय, अलवर।
3. डीन, क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविधालय एवं चिकित्सालय, जयपुर।
4. सयुक्त निदेशक, उप क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर/उदयपुर।
5. चिकित्सा अधीक्षक, क. रा. बी. नि. चिकित्सालय, भिवाड़ी/बीकानेर/भिवाड़ी/उदयपुर।
6. समस्त चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी), डीसीबीओ, राजस्थान क्षेत्र ।
7. सभी शाखाधिकारी/शाखाएं, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, क्षेत्रीय निदेशक महोदय।
9. सभी शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय, राजस्थान क्षेत्र।
10. सचिव, एसिक को-ऑपरेटिव सोसायटी, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर।
11. सचिव, एसिक स्टाफ यूनियन, राजस्थान क्षेत्र, जयपुर।
12. सहायक (सतर्कता/स्टेटमेन्ट/रिकार्ड/वरिष्ठता सूची), प्रशासन शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर।
13. व्यक्तिगत पत्रावली/सुरक्षा पंजिका।